श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय
जोबनेर, (जयपुर)

क्रमांक :– श्री.क.न.महा.वि. / 2019 / 3378 दिनांकः 07.03.2019

सीमित निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय के डेयरी फॉर्म पर संचालित आर.के.वी.वाई.–14 परियोजना के अर्न्तगत पशुओं को खिलाने / उपयोग हेतु निम्न विवरणानुसार चारा खरीदना हैः–

क्र.सं.	विवरण	तादाद	धरोहर राशि
1.	सूखा चारा (गेहूँ भूसा)	300 क्विटंल	3900 रू.

अतः उपरोक्त सप्लाई हेतू सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में अपनी निविदा दर या सादे कागज पर लिखकर मय हस्ताक्षर बंद लिफाफे में दिनांक 16.03.2019 को प्रातः 11.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में जमा करा देवें।

आप द्वारा दी गई निविदा दिनांक 16.03.2019 को दिन के 12.00 बजे निविदा कमेटी के समक्ष कमेटी कार्यालय में खोली जावेगी।

अधिष्ठाता
श्री. क. न. कृषि महाविद्यालय,
जोबनेर, (जयपुर)

निविदा की शर्ते एवं नियम

1. निविदा खुलने के बाद कमेटी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। किसी भी निविदा स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय का होगा।
2. निविदा खुलने के बाद सम्बन्धित पार्टी / व्यक्ति को निविदा में पारित सामान एक सप्ताह में डेयरी फॉर्म पर गोदाम में लाकर डालना होगा।
3. निविदा में पारित सामान साफ–सुथरा एवं निविदा में दिये गये नमूने के अनुसार सूखा चारा (गेहूँ भूसा) होनी चाहिए।
4. निविदा पार्टी के पास आर.एस.टी. / सी.एस.टी. अथवा पैन नम्बर होना आवश्यक है।
5. निविदा में पारित सूखा चारा (गेहूँ भूसा) में यदि धूल व गंदगी होगी तो सूखा चारा (गेहूँ भूसा) छानकर कटौती करके ही साफ–सुथरा सूखा चारा (गेहूँ भूसा) का ही भुगतान किया जायेगा। साथ ही माल जोबनेर धर्मकांटा पर तुलाई करवाकर ही डेयरी फॉर्म पर डालना होगा।
6. अन्तिम निर्णय अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर का होगा।

परियोजना अन्वेक्षक

LPM/RKVY-14/276-82 dt. 07-03-19

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् प्रभारी केन्द्रीय भण्डार, श्री. क. न. कृ. महावि. जोबनेर।
2. विभागाध्यक्ष, पशुधन उत्पादन प्रबन्ध विभाग
3. श्रीमान् संयोजक, निविदा कमेटी एवं सदस्यगण।
4. प्रभारी, सिमका, एस.के.एन.ए.यू., जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in & http//sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्पित करे।
5. सूचना पट्ट

परियोजना अन्वेक्षक
(आर.के.वी.वाई.–14)